न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 36/2019 अपील (राजस्व)

1. श्री केसर सिंह पिता श्री रतनसिंह सिसोदिया,
2. श्री प्रताप सिंह पिता श्री सव सिंह सिसोदिया,
3. श्री ओनार सिंह पिता श्री भैरू सिंह सिसोदिया,
4. श्री झालम सिंह पिता श्री रतन सिंह सिसोदिया,
5. श्री भंवर सिंह पिता श्री रतन सिंह सिसोदिया,
6. श्री मनोहर सिंह पिता श्री तेज सिंह सिसोदिया,
7. श्री मनोहर सिंह पिता श्री रतनसिंह सिसोदिया,

सर्व निवासीयान ग्राम वसु तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलार्थी

बनाम

1. राजकीय उच्च प्रा0 विद्यालय वसु जरिये प्रधानाध्यापक
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. ग्राम पंचायत वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रथम अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब गिर्वा, जिला उदयपुर के निर्णय दिनांक 21.06.1992 नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम वसु तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

उपस्थितः— श्री अजयसिंह हाडा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री मनोज कुमार पंवार, अधिवक्ता पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 26.12.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि ग्राम वसु पटवार हल्का दांतीसर, तहसील गिर्वा का निवासी होकर कृषि एवं पशुपालन का कार्य करता है। अपीलान्ट के खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सं. 2027, 2029, 1594, 2031 कृषि भूमि ग्राम वसु में स्थित होकर पिलाई हेतु आराजी सं. 1595 रकबा 0.9350 है. किस्म नाडी स्थित हैं जिसमें बरसाती पानी एकत्रित होता है । यह तलाई 100 वर्ष पुरानी है। जिससे सिंचाई, पशुओं के पानी पीने के काम आती है। उक्त नाडी के उत्थान एवं विकास हेतु गांव के सभी लोगों के प्रयास एवं उपयोग को देखते हुए नाडी को अतिक्रमण से बचाने व संरक्षित करने हेतु लाखों रूपये लगाकर आराजी सं. 1595 के दक्षिण दिशा में आराजी सं.

2031 में पाल का निर्माण करवाया एवं नाडी को गहरा करवाया। 2010–2011 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत प्रस्ताव लेकर उक्त नाडी हेतु 10.62 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति करके जल संरक्षण हेतु राशि नाडी के संरक्षण हेतु खर्च की गई। उक्त नाडी के वास्तविक तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी सं. 1595 रकबा 0.9350 हे. भूमि को नामान्तकरण सं. 41 दिनांक 21.06.92 से खेल मैदान बनाने हेतु रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खाते में दर्ज करवा दी गई। जिसकी जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। उक्त नाडी की भूमि को जानबुझ कर राज्य सरकार को गुमराह कर भारी षडयत्र किया गया एवं फर्जी तौर से निर्धारित नियम एवं विधि के विपरीत जाकर नाडी का नुमाईशी किस्म परिवर्तन करके प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया गया। जिनकी जानकारी ग्रामवासियों को नहीं थी। मौके पर किसी प्रकार का न तो मैदान बना ना उसके बाबत कोई कार्यवाही हुई। क्योंकि उक्त नाडी में पानी भरा रहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत किस्म नाडी संरक्षित भूमि में से है। जिसके किस्म परिवर्तन या खातेदारी निषेध है। उपरोक्त नाडी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गावं की एक महती आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय को इसकी जानकारी होते हुए भी अवैध रूप से नामान्तकरण तस्दीक किया गया। नाडी पर लाखो रूपये खर्च किये। सरकारी खजाने को नुकसान पहुचाने के आशय से एवं नाडी को मैदान में परिवर्तन करने के आशय से और भी बजट पारित करवाने व राजकीय राशि हडपने के आशय से उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर धारा 16 के विपरीत जाकर नुमाईशी तौर पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण सं. 41 दिनांक 21.06.92 को निरस्त फरमाया जावे एवं आराजी सं. 1595 को पुनः नाडी में दर्ज किया जाये।

अपने अपील मेमो के साथ में धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नाडी की किस्म गुपचुप तरीके से परिवर्तन कर खैल मैदान हेतु आवंटन की गई। अपीलान्टगण गांव के ग्रामीण होकर कृषि भूमि को पानी हेतु संकट खडे होने व पशुधन पर भी कुठाराघात होने एवं नाडी पर लाखो रूपये खर्च करके भराव भरकर सपाट मैदान बना दिया जाता है तो राज्य सरकार के भी पूर्व में नाडी के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु खर्च किये गये लाखो रूपये का नुकसान होगा एवं पानी के लिए भारी संकट पैदा होगा। अतः अपीलान्टगणों को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति फरमायी जाये।

अपने अपील मेमो के साथ में धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.06.19 को जब अपनी खातेदारी भूमि पर हकाई कर रहे थे उस समय मौके पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय वसु के प्रधानाचार्य द्वारा कतिपय लोगों को भूमि का निरीक्षण करवाया एवं भरे हुए पानी को निकाल कर भराव भरकर मैदान बनाने के संबंध में बातचीत की तो हमारे द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जानकारी ली तो ध्यान में आया कि उक्त भूमि नामान्तकरण सं. 41 दिनांक 21.06.92 से खैल मैदान हेतु आवंटन हो गई है। जिस पर नकल निकलवा

कर तत्काल अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश फरमावे एवं अपील का विधिक निस्तारण फरमावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। विपक्षी सं. 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब में निवेदन किया कि सबकी सहमति से खैल मैदान का कार्य स्वीकृत करवाया गया है। अपीलार्थी के परिवार खैल मैदान से 150 मीटर की त्रिजा में ही निवास करते है। इनके खेत भी पास में ही है। खैल मैदान के विकास कार्य के मस्टरोल में इनके परिवारों ने निरन्तर कार्य किया है एवं देखरेख भी की है। अतिवृष्टि के समय एक बीघा के आस पास भूमि पर पानी भरा रहता है। मवेशियों के पीने हेतु अन्य एनीकट व नाले है। यहां पानी नहीं भरा रहता है। खैल के मैदान का कार्य 22.06.18 से निरन्तर चला है और पूरे बरसात के सीजन में कार्य पानी का टेंकर खडा करके ही करना पडा है। मुख्य अपीलार्थी की पत्नी द्वारा भी कार्य किया है। अपीलार्थी की मुख्य समस्या बाईपास रास्ते की है। खैल मैदान से इन्हे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य अपीलार्थी के अनुसार इन्हे पूर्व में पता नहीं था, यह सही नही है। इन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती तो यह स्वयं कार्य करके खैल मैदान का विकास कार्य नहीं कराते।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है एवं अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा वसु की आराजी नं. 1595 रकबा 0.9350 है. किस्म नाडी होकर विपक्षीगणों द्वारा वास्तविकता को छिपाकर इस नाडी की भूमि को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खैल मैदान हेतु आवंटन करवा दी गई एवं अपीलीय नामान्तकरण से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दी, जबकि हकीकत यह है कि उक्त भूमि किस्म नाडी होकर इस नाडी को संरक्षित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रूपये खर्च करके पाल बनवाई, गहरी करवाई। इस नाडी में एकत्रित वर्षा का पानी हमारे खेतों में सिचाई हेतु उपयोग में लिया जाता है। इस पानी को हमारा पशुधन साल भर पीता है। किस्म नाडी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से बाधित है। फिर भी रेस्पोडेन्टगणों द्वारा अधिकारों का उल्लघंन कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर राज्य सरकार से किस्म परिवर्तन करवा दी गई। अतः कृपया विधिक कार्यवाही करते हुये अपीलीय नामान्तकरण स्वीकार कर आराजी नं. 1595 को पुनः नाडी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अपनी बहस की ताईद में आरएलडब्ल्यू 2012(2)आरजे पेज 1270, आरआरटी 2009(2) पेज 779, आरआरटी 2007(1) पेज 1 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा वसु के आराजी नं. 1595 राजस्व अभिलेख में किस्म नाडी अवश्य दर्ज थी, परन्तु इस भूमि में कभी पानी भरा नहीं रहता, ना इस भूमि का कोई अन्य उपयोग होता था। ऐसी

स्थिति में समस्त ग्रामवासी की भावना के अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर इस भूमि की किस्म परिवर्तन करवायी जाकर खैल मैदान हेतु आवंटित करवायी गई। वर्तमान में इस भूमि के चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी होकर खैल मैदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस खैल मैदान पर वर्षा का पानी आस–पास के खेतो से आता है जो अस्थाई बारिश के समय ही रहता है। यहा तक की ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी लिखा है कि खैल मैदान का कार्य 22.06. 18 से निरन्तर चल रहा है और पुरे बरसात के सीजन में कार्य पानी का टेंकर खडा करके ही कराना पडा। इस खैल मैदान पर अपीलान्ट के लोगों द्वारा ही कार्य किया गया हैं। इनकी मुख्य समस्या रास्ते को लेकर है। अतः कृपया अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि मौके पर नाडी के रूप में उपयोग नहीं होने के कारण इस भूमि की किस्म परिवर्तन करवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वसु को खैल मैदान हेतु नियमानुसार आवंटन की गई। वर्तमान में इस भूमि के चारो ओर ग्राम पंचायत दातीसर द्वारा खैल मैदान पर पक्की दिवार का निर्माण करवाया गया। मौके पर उक्त आराजी के दक्षिण के तरफ कच्ची–पक्की पाल बनी हुई है। ग्राम पंचायत दातीसर द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार समस्त ग्रामीणों की लम्बे समय से मांग रही है कि स्थाई सीमा निर्धारण कर खैल मैदान का निर्माण करवाया जाये, जिस पर समस्त ग्रामवासियों की मांग के आधार पर ही यह भूमि खैल मैदान हेतु आवंटन की गई। तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर खैल मैदान बना हुआ है। नाडी के रूप में उपयोग नहीं आ रही है। अपीलीय नामान्तकरण सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा फैसल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.06.92 नामान्तकरण सं. 41 ग्राम वसु का वैध आदेश के तहत ही खोला गया है। नामान्तकरण पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के नामान्तकरण संख्या 41 ग्राम वसु निर्णय दिनांक 21.06.92 में कोई विधिक त्रुटी नहीं पायी जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति एवं अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.01.27 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: